फैक्टशीट

क्या आप सफाई या भोजन प्रबन्ध (केटरिंग) कर्मचारी हैं?

क्या आप अर्दली, धुलाई घर (लांड्री) कर्मचारी या प्रभारी (केयरटेकर) हैं?

यदि ऐसा है, तो संभव है काम पर आपको कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हों।

आप जो काम करते हैं, हो सकता है दूसरे नियोजक (इम्पलॉयर) के लिए आप उस काम को करना जारी रख सकें - जिस व्यापार के लिए आप काम करते हैं वह बिक जाता है, या जो काम आप करते हैं उसका अनुबन्ध खो जाता है।

आप यदि इस प्रकार के परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं, तो अपने अधिकारों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। अपनी यूनियन या श्रम विभाग (लेबर डिपार्टमेंट) को हमारी वेबसाइट **www.dol.govt.nz** के माध्यम से सम्पर्क करें या 0800 20 90 20 नम्बर पर व्यापारिक घंटों के दौरान फोन करें।

काम पर ये अतिरिक्त अधिकार किसे प्राप्त हैं?

- किसी भी कार्य-स्थल में सफाई या भोजन प्रबन्ध का काम करने वाले कर्मचारी
- अस्पतालों, विश्रामगृहों (रैस्टहोम) या शैक्षणिक संस्थानों के लिए धुलाई का काम करने वाले कर्मचारी
- अस्पतालों तथा विश्रामगृहों में अर्दली का काम करने वाले कर्मचारी
- स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, पोलिटैक्नीकों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में केयरटेकर का काम करने वाले कर्मचारी

ये कब लागू होते हैं?

- जब आप जिस कम्पनी के लिए काम करते हैं वह बिक जाती है

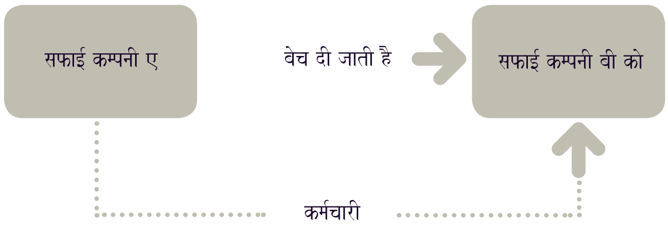

- जब आप जिस कम्पनी के लिए काम करते हैं वह आपके द्वारा किए गए काम के अनुबन्ध को दूसरे व्यापार को खो देती है।

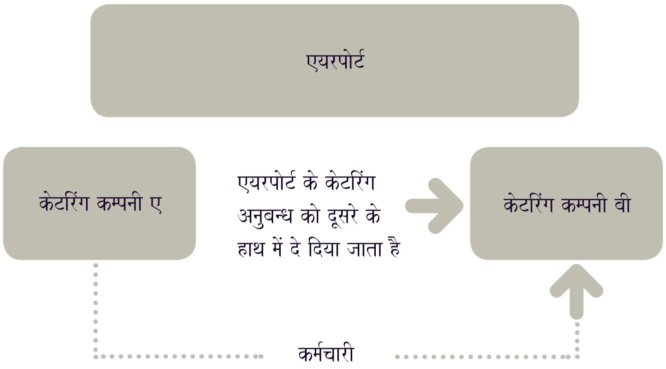

DOL10257 SEPT 06

- जब आप जिस काम को करते हैं उसका अनुबन्ध बाहर दे दिया जाता है।

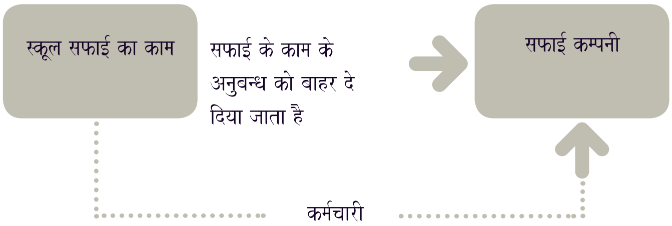

- जब आप जिस कम्पनी के लिए काम करते हैं वह आपके द्वारा किए गए काम के अनुबन्ध को खो देती है क्योंकि ग्राहक उसे स्वयं करना चाहते हैं।

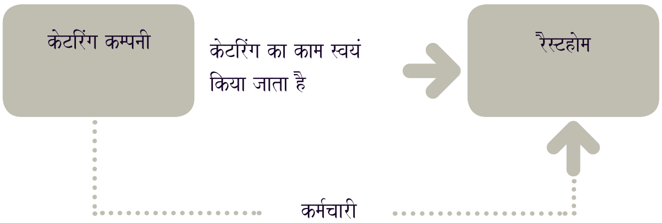

आपके क्या अधिकार हैं?

इन परिस्थितियों मेंः

- आपको अपने नए नियोजक (मालिक) के पास उन्हीं उपयुक्त शर्तों तथा परिस्थितियों पर स्थानान्तरण (ट्रांसफर) करने का अधिकार है जो आपको अपने वर्तमान नियोजक से प्राप्त हैं
- आप अपने वर्तमान नियोजक के पास ही रहने का चुनाव कर सकते हैं
- यह जरूरी है कि आपको उस बिजनेस का नाम दिया जाए जिसके लिए आप (भविष्य में) काम करेंगे, तथा आपको स्थानान्तरण के बारे में निर्णय कर सकने के लिए भावी परिवर्तनों के बारे में उपयुक्त जानकारी दी जाए। यह जानकारी आपको परिवर्तनों के होने से पहले दी जानी जरूरी है
- आपको इस बारे में निर्णय लेने के लिए समय दिया जाना जरूरी है कि आप (भविष्य में) काम को करने वाले बिजनेस के पास स्थानान्तरण करना चाहते हैं या नहीं तथा उस निर्णय के बारे में आप किसे बताएं इसकी जानकारी दिया जाना जरूरी है।

ये अधिकार आपको किसी अन्य नौकरी के विकल्प के प्रस्ताव के बारे में अपने वर्तमान नियोजक से बात करने से नहीं रोकते।

क्या जानकारी दी जानी जरूरी है?

आपको दी जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित का शामिल होना जरूरी हैः

- भावी परिवर्तनों के प्रकार तथा उनकी पहुंच या विस्तार। उदाहरण के तौर पर, क्या आपके काम को बाहर अनुबन्धित किया जा रहा है या बिजनेस को बेचा रहा है तथा इससे क्या आपके सारे काम या उसके कुछ हिस्से के प्रभावित होने की संभावना है
- परिवर्तन के प्रभाव में आने की तिथि
- आप नए नियोजक के पास स्थानान्तरित होना चाहते हैं या नहीं, इसके बारे में निर्णय लेने की अन्तिम तिथि
- आपके नियोजक से काम को अपने अधिकार में लेने वाली कम्पनी का नाम
- आप स्थानान्तरण करना चाहते हैं या नहीं, इस बारे में आप किस से सम्पर्क करें तथा उन्हें अपने चुनाव के बारे में आप कैसे सूचित करें इस बारे में विस्तृत जानकारी का दिया जाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, ऐसा क्या फैक्स, ईमेल या पत्र द्वारा किया जाए।

आपके नियोजक द्वारा जानकारी को समझने और उस पर विचार करने तथा अपनी यूनियन, सलाहकार या श्रम-विभाग से सलाह के लिए समय देना जरूरी है।

मेरे स्थानान्तरण करने की स्थिति में क्या होता है?

आपको वेतन, छुट्टियां तथा अपनी नौकरी में लागू शर्तें, काम के घंटों से सम्बन्धित किए गए प्रबन्धों सहित मिलना जारी रहता है। आपके नए नियोजक द्वारा आपकी (काम की) शर्तों को आपकी सहमति से ही बदला जा सकता है।

मेरी बीमारी की छुट्टी तथा छुट्टियों के अधिकारों का क्या होगा?

आप यदि नए नियोजक के पास स्थानान्तरित होते हैं तो आप अपने वर्तमान नियोजक द्वारा देनदार बीमारी की छुट्टियों, वार्षिक छुट्टियों तथा वैकल्पिक छुट्टियों के अधिकारी हैं। आपका वर्तमान नियोजक आपको देनदार लाभों जैसे कि छुट्टियों के वेतन का भुगतान आपके नए नियोजक के पास स्थानान्तरण से पहले नहीं कर सकता।

मेरे रोजगार अनुबन्ध का क्या होगा?

आपके स्थानान्तरण की स्थिति में आपका वर्तमान रोजगार अनुबन्ध जारी रहता है। वह आप तथा आपके नए नियोजक के बीच रोजगार अनुबन्ध बन जाता है। जब आपके अनुबन्ध में दिए गए लाभों के आपके अधिकारों की गणना करने की बारी आती है, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि आपके रोजगार में कोई विराम नहीं आया हो। अतः यदि आप स्थानान्तरण करते हैं, तो आप दीर्घ सेवा अवकाश, सेवा भुगतान या मातृक अवकाश (मैटरनिटी लीव) जैसे लाभों के अधिकारों के प्रति की गई उन्नति को जारी रखते हैं।

मेरे सामूहिक अनुवन्ध तथा यूनियन सदस्यता का क्या होगा?

आप यदि सामूहिक अनुवन्ध के भागीदार हैं, तो आपका नया नियोजक उस सामूहिक अनुवन्ध का हिस्सा बन जाता है। आपका अपनी यूनियन का सदस्य बने रहने का अधिकार जारी रहता है।

आपके सामूहिक अनुवन्ध के लिए जब दुवारा समझौता किया जाता है, तो आप तथा आपकी यूनियन यह निर्णय कर सकते हैं कि आप सामूहिक अनुवन्ध के भागीदार बने रहना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए आपका अपनी यूनियन से इस बारे में बात करना जरूरी है।

मेरे स्थानान्तरण के बाद नौकरी छोड़ देने की स्थिति में क्या होगा?

आपको अवकाश भुगतान तथा अन्य भुगतान उसी प्रकार प्राप्त होंगे जैसे कि आप हमेशा से ही नए नियोजक के पास नौकरी कर रहे हों।

स्थानान्तरण के तुरन्त बाद मेरे नियोजक द्वारा मुझे अनावश्यक (रिडन्डैन्ट) करार कर देने की स्थिति में क्या होगा?

आपको अनावश्यक करार करने से पहले आपके नए नियोजक द्वारा उचित प्रणाली का पालन करना जरूरी है। इस प्रणाली में आपसे (तथा आपकी यूनियन से, यदि आप यूनियन के सदस्य हैं) अनावश्यक करार किए जाने के अन्य विकल्पों के बारे में बात किया जाना जरूरी है।

आपको यदि अनावश्यक करार कर दिया जाता है, तो आप अपने रोजगार अनुवन्ध के अनुरूप अनावश्यकता लाभों के अधिकारी है, जिनका गणन इस आधार पर किया जाएगा जैसे कि आप हमेशा से नए नियोजक के पास काम कर रहे थे। यदि आपके रोजगार अनुवन्ध की अनावश्यकता धारा में, पुनर्गठन की स्थिति में अनावश्यकता अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो आपके नियोजक द्वारा आपसे अनावश्यकता अधिकारों के बारे में समझौता करना जरूरी है। यदि आप तथा आपका नियोजक (इस बारे में) समझौता नहीं कर सकते, तो आप रोजगार सम्बन्ध सेवा (एम्प्लायमैंट रिलेशन्स अथॉरिटी) से इसका निर्णय करने के लिए कह सकते हैं।

मैं यदि नए नियोजक के पास काम नहीं करना चाहूँ तो?

आप नए नियोजक के पास स्थानान्तरण नहीं करने का निर्णय कर सकते हैं। आप यदि स्थानान्तरण नहीं करना चाहते, तो अपने वर्तमान नियोजक से उनके बिजनेस में अन्य काम ढूंढने के विकल्पों के बारे में बात करें। यदि सभी संभावनों के बारे में बात करने के बात भी कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर सकें, या आपको विकल्प के रूप में पेश किए काम को आप करना नहीं चाहते, तो वर्तमान नियोजक द्वारा आपको अनावश्यक करार किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप अनावश्यकता सम्बन्धित लाभों के अधिकारी हो सकते हैं वशर्ते कि आपके रोजगार अनुवन्ध में इनका प्रवन्ध किया गया है, और यदि अनुवन्ध में कहा गया है कि इस प्रकार की अनावश्यकता की स्थिति में लाभों की व्यवस्था की गई है।

मैं यदि वर्तमान नियोजक के लिए दो या अधिक कार्यस्थलों पर काम करता/करती हूँ, परन्तु केवल एक कार्यस्थल वदल रहा है?

आपका वर्तमान नियोजक यदि एक कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए काम के ठेके को खो देता है, परन्तु आपके काम करने के अन्य स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं आता तोः

- आप इस बारे में चुनाव कर सकते हैं कि आपके काम के कुछ हिस्से को अधिकार में लेने वाले नए नियोजक के पास स्थानान्तरण करें या नहीं
- आप यदि स्थानान्तरण करते हैं तो आपके दो नियोजक होंगे
- अपने नए नियोजक के पास आपका बाकी का काम बिना किसी परिवर्तन के जारी रहता है, चाहे आप स्थानान्तरण का निर्णय करते हैं या नहीं
- कोई भी एक नियोजक आपको दूसरे नियोजक के लिए काम करने से नहीं रोक सकता।

यदि मेरा अनुवन्ध निर्धारित अवधि के लिए है तो (क्या होगा)?

यदि आपके निर्धारित अवधि के अनुवन्ध का अर्थ है कि आपकी नौकरी पुनर्गठन के समय ही समाप्त होती है, तो संभव है आपको नए नियोजक के पास स्थानान्तरण का अधिकार प्राप्त है। ऐसा तव होगा जवकि निर्धारित अवधि के अनुवन्ध का कारण सेवा के ठेके की समाप्ति, या प्रत्याशित पुनर्गठन के कारण से जुड़ा हुआ है।

आप यदि स्थानान्तरण करते हैं, तो नए नियोजक के साथ आपका निर्धारित अवधि वाला अनुवन्ध आपके नए नियोजक को दिए गए ठेके की अवधि की नकल होगा। यदि आपका नया नियोजक काम को स्थायी रूप से अपने अधिकार में ले रहा है (क्योंकि बिजनेस को बेच दिया गया था, या काम को स्वयं ही किया जा रहा था) तो आप स्थायी कर्मचारी वन जाते हैं।

आपके अनुवन्ध के निर्धारित अवधि का होने का कारण ठेके या पुनर्गठन से नहीं जुड़ा होने की स्थिति में भी आप स्थानान्तरण का चुनाव कर सकते हैं। परन्तु निर्धारित अवधि अनुवन्ध में दिए गए विवरण के अनुसार समय या स्थिति में निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी।

भोजन प्रवन्ध सेवा कर्मचारी किसे कहते हैं?

इस शव्द की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। भोजन प्रवन्ध सेवा कर्मचारी किसे माना जाए (तथा कौन अतिरिक्त नौकरी संरक्षण का अधिकारी है) यह प्रत्येक व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर होगा।

इसका उद्देश्य है पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अनुवन्ध को दूसरे के अधिकार में जाने से उन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना जिनकी नौकरी की शर्तें विशेषकर खतरे में हैं। इसका अर्थ है कि यदि एयरपोर्ट कैफेटेरिया के चलाने वाले प्रवन्धक को वदलने का निर्णय करता है, तो जिस प्रवन्धक का काम इससे प्रभावित होता है उसके कर्मचारियों को स्थानान्तरण का चुनाव करने का अधिकार है।

भोजन प्रवन्ध सेवा कर्मचारी किसे कहते हैं इस वारे में अधिक जानकारी हमारी वेवसाइट **www.dol.govt.nz** के माध्यम से या व्यापारिक घंटों के दौरान 0800 20 90 20 नम्बर पर फोन करने प्राप्त करें।

मुझे क्या सहायता प्राप्त हो सकती है?

ये कानूनी अधिकार हैं तथा आपके नियोजक द्वारा आपसे इनका त्याग करने के लिए नहीं कहा जा सकता। यदि आपके कार्यस्थल में परिवर्तन हो रहा है तथा आपके विचार में इस परिवर्तन का इस पुस्तिका में संदर्भ दिया गया है तो आप निम्नलिखित के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैंः

- अपने नियोजक के साथ होने वाले किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए
- अपने नौकरी के अनुवन्ध को समझने के लिए
- अपने अधिकारों तथा आपको क्या सहायता मिलनी चाहिए इस वारे में पता लगाने के लिए
- कुछ स्थितियों में, आपके द्वारा नए नियोजक के पास वदली किए जाने के कारण पैदा होने वाली मुसीवतों को सुलझाने में मदद के लिए

मुझे सहायता कहाँ से प्राप्त हो सकती है?

- अपनी यूनियन से सम्पर्क करें
- हमारी वेवसाइट **www.dol.govt.nz** के माध्यम से श्रम-विभाग से सम्पर्क करें या व्यापारिक घंटों के दौरान 0800 20 90 20 नम्बर पर फोन करें।

यह पुस्तिका केवल गाइड के रूप में है तथा संभव है कि यह सभी परिस्थितियों के लिए सही न हो। इसका प्रयोग कानूनी या अन्य विशेषज्ञ सलाह के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए।